झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–19 / 2020

बिशाल पाल उर्फ विशाल पाल .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री जे0एन0 उपाध्याय, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री दीपक कुमार, ए0पी0पी0।

02 / 15.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्ता साकची थाना काण्ड संख्या 62 वर्ष 2018 तद्नुसार जी0आर0 संख्या 910 वर्ष 2018 में एक आरोपी हैं।

यह आरोप लगाया गया है कि सूचक के बेटे का शव जंगल से बरामद किया गया था। यह महेंद्र ठाकुर के साक्ष्य से प्रकट होता है जिनकी पी0डब्ल्यू0 3 के रूप में जाँच की गई है कि वह मृतक को याचिकाकर्त्ता के साथियों और एक रॉकी मसीह को देखा था। हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि बी0ए0 संख्या 5057 / 2019 में इस न्यायालय द्वारा उक्त रॉकी मसीह को जमानत दी गई है, लेकिन उक्त मामला इस तथ्य के कारण अलग–अलग है कि याचिकाकर्त्ता के स्वीकारोक्ति बयान में, मृतक की हत्या में इस्तेमाल किया पत्थर को प्राप्त कर लिया गया है।

अपराध की प्रकृति के संदर्भ में, मैं इस आवेदन की अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं हूँ और इसे खारिज कर दिया गया है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)